

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492002
--:: आदेश ::--

रायपुर दिनांक 3 /03/2016

क्रमांक/7113 /एफ-08/89/PMFBY/16-17/14-2 :: भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 18.02.2016 को जारी की गई "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के दिशा-निर्देश के बिन्दु क्र. 2 के अनुपालन में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के समुचित क्रियान्वयन पर निगरानी, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त छ.ग. शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार "राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI)" का गठन किया जाता है:-

1	अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2	सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग/उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3	सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	सदस्य
4	सचिव, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग	सदस्य
5	आयुक्त सह संचालक भू-अभिलेख छ.ग. रायपुर	सदस्य
6	संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर	सदस्य
7	पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर	सदस्य
8	महा निदेशक छ.ग. कौन्सिल ऑफ साइंस ऑफ टेक्नॉलाजी	सदस्य
9	संचालक अनुसंधान सेवाएं इ.गां.कृ.वि.वि. रायपुर	सदस्य
10	निदेशक विस्तार सेवाएं, इ.गां.कृ.वि.वि. रायपुर	सदस्य
11	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर	सदस्य
12	निदेशक केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र लालपुर, रायपुर	सदस्य
13	विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, इ.गां.कृ.वि.वि. रायपुर	सदस्य
14	निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC)	सदस्य
15	नाबार्ड के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	सदस्य
16	क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि. रायपुर	सदस्य
17	राज्य शासन द्वारा मनोनीत 5 कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
18	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से छ.ग. राज्य के लिए सूचीबद्ध फसल बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि	सदस्य
19	संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित- उक्त सदस्यों के अलावा समिति में राज्य शासन द्वारा मनोनीत दो (2) माननीय सांसद तथा पांच (5) माननीय विधायकगण विशेष आमंत्रित रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रदीप कुमार दवे)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, कृषि विभाग